रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGD. No. D.(D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 1980/चैत्र 8, 1902
No. 73] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 1980/CHAITRA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1980

सा० का० नि० 142(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात्, यह अधिसूचित करती है कि बोर्ड अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् :—

1. बोर्ड द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना :—बोर्ड अवक्षयण के लिए प्रति वर्ष ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो अवक्षयण की सीधी रेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाती है, अर्थात्, ऐसी राशि, जो आस्तियों की बाबत विहित अवधि से, बोर्ड की बहियों में पहले ही बट्टे खाते डाली और अपास्त कर दी गई राशि को हिसाब में लेने के पश्चात्, आस्तियों की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत को विभाजित करके आती है :

परन्तु अवक्षयण के लिए किसी आस्ति की बाबत अभिदाय, विहित अवधि की समाप्ति पर या जब आस्ति बोर्ड द्वारा प्रयुक्त नहीं होती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, समाप्त हो जाएगा।

2. अवक्षयण के सिद्धान्तों के लागू होने की अवधि :—ये सिद्धान्त अप्रैल, 1979 के पहले दिन से आरम्भ होने वाले और मार्च, 1980 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के अवक्षयण के प्रभारण को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, "विहित अवधि" से,—

(क) किसी ऐसी आस्ति के संबंध में, जो बोर्ड को अपने कारबार में अपने उपयोग के लिए विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1966 (1966 का 30) के प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध हुई है, वे वर्ष जिसमें से उतने वर्ष घटा दिए गए हैं, जिनके दौरान ऐसी आस्ति प्रयुक्त की गई है या प्रयुक्त की जा सकती थी, इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा परिनिश्चित वर्षों की वह संख्या अभिप्रेत है; ऐसे वर्षों की संगणना, उस वर्ष के जिसमें वह आस्ति बोर्ड को इस प्रकार उपलब्ध हुई थी ठीक अगले वर्ष के प्रारम्भ से और ऐसे प्रारम्भ को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष की समाप्ति तक, की जाएगी,

(ख) अन्य किसी आस्ति के संबंध में, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि, अभिप्रेत है।

अनुसूची

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
क. पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि	अनंत काल
ख. पट्टे के अधीन धारित भूमि—	
(क) भूमि में विनिधान के लिए	पट्टे की अवधि, या पट्टे के समनुदेशन पर शेष अनवसित अवधि।

1341 GI/79

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
(ख) स्थल की सफाई करने की लागत के लिए	स्थल की सफाई करने की तारीख को पट्टे की शेष अनवसित अवधि ।
ग. नई क्रय की गई आस्तियां :—	
(क) जनन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी, जिसके अंतर्गत संयंत्र आधार भी हैं :	
(i) जल-विद्युत . .	पैंतीस
(ii) वाष्प-विद्युत . .	पच्चीस
(iii) डीज़ल-विद्युत . .	पन्द्रह
(ख) शीतलन टावर और परिसंचारी जल पद्धति	तीस
(ग) द्रवचालित संकर्म जो जल-विद्युत पद्धति का भाग हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—	
(i) बांध अधिप्लव मार्ग, बंधिकाएं और नहरें, प्रबलित कंक्रीट प्रवनालिकाएं और दाबसंधिकाएं	एक सौ
(ii) प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइनें और महोर्मि टैंक, इस्पात पाइप लाइनें, स्लूइस द्वार, इस्पात महोर्मि टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व और अन्य द्रवचालित संकर्म	चालीस
(घ) स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरी संकर्म, जो ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए हैं :—	
(i) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष	पचास
(ii) जिसमें ताप-विद्युत जनन संयंत्र है	तीस
(iii) जिसमें जल-विद्युत जनन संयंत्र है ।	पैंतीस
(iv) अस्थाई निर्माण, जैसे काष्ठ संरचनाएं ।	पांच
(क) कच्चे मार्गों से भिन्न मार्ग .	एक सौ
(v) अन्य . . .	पचास
(ङ) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कियोस्क, उप-स्टेशन उपस्कर और अन्य नियत साधित्र (जिसके अंतर्गत संयंत्र आधार भी हैं)—	
(i) 100 किलोवाट एम्पियर और उससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर (जिसके अंतर्गत आधार भी है) ।	पैंतीस
(ii) अन्य . . .	पच्चीस
(च) स्विचगियर, जिसके अंतर्गत केबल कनेक्शन भी है ।	बीस
(छ) तड़ित प्रग्राही—	
(i) स्टेशन टाइप . .	बीस
(ii) पोल टाइप . .	पन्द्रह
(ii) तुल्यकाली संधारित्र .	पैंतीस
(छ) बैट्रियां . . .	दस
(ज) (i) भूमिगत केबलें जिनके अंतःसंधि बाक्स और वियोजन बाक्स भी हैं ।	चालीस
(ii) केबल डक्ट प्रणाली .	साठ
(झ) ऊपरली लाइनें, जिनके अंतर्गत टेक भी हैं—	
(i) 66 किलोवाट से उच्चतर नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली संविरचित इस्पात टेकों पर लाइनें ।	पैंतीस
(ii) 13.2 किलोवाट से उच्चतर किन्तु 66 किलोवाट से अनधिक नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली इस्पात टेकों पर लाइनें ।	तीस
(iii) इस्पात या प्रबलित कंक्रीट टेकों पर लाइनें ।	पच्चीस
(iv) प्रक्रियित काष्ठ टेकों पर लाइनें	बीस
(ञ) मीटर . .	पन्द्रह
(ट) स्वनोदित यान . .	सात
(ठ) स्थैतिक मशीन औज़ार . .	बीस
(ड) वातानुकूलन संयंत्र—	
(i) स्थैतिक . .	पन्द्रह
(ii) सुवाह्य . .	सात
(ढ) (i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग	बीस
(ii) कार्यालय उपस्कर .	दस
(iii) आन्तरिक तार लगाना, जिसके अंतर्गत फिटिंग और साधित्र भी है	पन्द्रह
(iv) सड़क प्रकाश फिटिंग .	पन्द्रह
(ण) भाड़े पर दिए गए साधित्र—	
(i) मोटरों से भिन्न .	सात
(ii) मोटरें . .	बीस
(त) संचार उपस्कर—	
(i) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति वाहक पद्धति	पन्द्रह
(ii) टेलिफोन लाइनें और टेलिफोन	बीस
घ. पूर्व-प्रयुक्त क्रय की गई आस्तियां और ऐसी आस्तियां, जिनके लिए इस अनुसूची में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है	ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो राज्य सरकार, स्वामी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनके स्वरूप, कालसमय और दशा को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में अवधारित करे ।

[सं. 9/21/78-ईस्क I-खाल०-I)]

MINISTRY OF ENERGY AND IRRIGATION

(Department of Power)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th March, 1980

G.S.R. 142(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely:—

1. Providing of depreciation by Board.– The Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the straight line method of depreciation, that is to say, such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the assets, after taking into account the sum already written off and set-aside in the books of the Board, by the prescribed period in respect of such assets:

Provided that the contribution in respect of any asset to depreciation shall cease at the end of the prescribed period or when the asset ceases to be used by the Board, whichever is earlier.

2. Period of application of the principles of depreciation.— These principles shall apply to the charging of depreciation for the year commencing on the 1st day of April, 1979 and ending on the 31st day of March, 1980.

Explanation.— In this notification, "prescribed period" means—

(a) in relation to an asset which became available to the Board for its use in its business before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1966 (30 of 1966), means the number of years as defined in the Schedule to this notification reduced by the number of years during which such asset was used or capable of being used, such years being computed from the beginning of the year next following that in which that asset became so available to the Board and up to the end of the year ending on or after such commencement.

(b) in relation to any other asset, the number of years or period specified in the said Schedule.

SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
A. Land owned under full title	Infinity
B. Land held under lease—	
(a) for investment in the land	The period of the lease, or the period remaining unexpired on the assignment of the lease.
(b) for cost of clearing site	The period of the lease remaining unexpired at the date clearing the site.
C. Assets purchased new—	
(a) Plant and machinery in generating stations, including plant foundations—	
(i) hydro-electric	Thirty-five
(ii) steam-electric	Twenty-five
(iii) diesel-electric	Fifteen
(b) Cooling towers and circulating water systems	Thirty
(c) Hydraulic works forming part of a hydro-electric system, including—	
(i) dams, spilways, weirs, canals, reinforced concrete flumes and syphons	One hundred
(ii) reinforced concrete pipe-lines and surge tanks, steel pipe-lines, sluice gates, steel surge tanks, hydraulic control valves and other hydraulic works	Forty
(d) Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above—	
(i) Offices and showrooms	Fifty
(ii) containing thermo-electric generating plant	Thirty
(iii) containing hydro-electric generating plant	Thirty-five
(iv) temporary erection such as wooden structures	Five
(v) roads other than kutcha roads	One hundred
(vi) others	Fifty
(e) Transformers, transformer kiosks, sub-station equipment and other fixed apparatus (including plant foundations)—	
(i) transformers (including foundation) having a rating of 100 kilovolt amperes and over	Thirty-five
(ii) Others	Twenty-five
(f) Switchgear, including cable connections	Twenty
(ff) Lighting arrestors—	
(i) station type	Twenty
(ii) Pole type	Fifteen
(iii) synchronous condensers	Thirty-five
(g) Batteries	Ten
(h) (1) Underground cables including jont boxes and dis-connecting boxes	Forty
(2) Cable duct system	Sixty
(i) Overhead lines, including supports—	
(i) lines on fabricated steel supports operating at nominal voltages higher than 66 kilovolts	Thirty-five
(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts.	Thirty
(iii) lines on steel or reinforced concrete supports	Twenty-five

1	2
(iv) lines on treated wood supports	Twenty
(j) Meters	Fifteen
(k) Self-propelled vehicles	Twenty
(l) Static machine tools	Twenty
(m) Air-conditioning plant—	
(i) Static	Fifteen
(ii) Portable	Seven
(n) (i) Office furniture and fittings	Twenty
(ii) Office equipment	Ten
(iii) Internal wiring, including fittings and apparatus	Fifteen
(iv) street-light fittings	Fifteen
(o) Apparatus let on hire—	
(i) other than motors	Seven
(ii) motors	Twenty
(p) Communication equipment—	
(i) Radio and high frequency carrier system	Fifteen
(ii) Telephone lines and telephones	Twenty
D. Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this Schedule.	Such reasonable period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by the owner.

[No. 9/21/79-Desk I. Vol. I.]

सा० का० नि० 143(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की छठी अनुसूची के पैरा VI के उप-पैरा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् यह अधिसूचित करती है कि अनुज्ञप्तिधारी अवक्षयण के लिए प्रति वर्ष ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् :—

1. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना—(क) अनुज्ञप्तिधारी अवक्षयण के लिए—

(i) ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा जो यदि समस्त विहित अवधि के दौरान प्रति वर्ष अपास्त कर दी जाती है और जिसका 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संचय किया जाता है, तो विहित अवधि की समाप्ति पर, उपक्रम की बहियों में पहले ही बट्टे खाते डाली गई और अपास्त कर दी गई राशि को हिसाब में लेने के पश्चात्, आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर राशि हो जाएगी । संचित अनिक्षेप पर वार्षिक ब्याज, राजस्व में से और वार्षिक वृद्धि निक्षेप में से व्यय के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, या

(ii) ऐसी राशि की व्यवस्था की जाएगी, जो विहित अवधि से, आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत को स्वभाजित करके निकलती है :

परन्तु, यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने, विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का 23) के प्रारम्भ के पूर्व किसी विशिष्ट पद्धति का विकल्प ले लिया है, तो वह उसी पद्धति का अनुसरण करता रहेगा ।

(ख) यदि कोई नियत आस्ति अप्रचलन, अपर्याप्तता, अतिरेक या अन्य किसी कारणवश उपयोग के लिए उपलभ्य नहीं रह जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी की बहियों में यह वर्णित किया जाएगा कि अब वह प्रयुक्त नहीं होती है और उसकी बाबत और अवक्षयण राजस्व मद्दे प्रभार के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) यदि उपक्रम की बहियों में कोई आस्ति, उसकी मूल लागत के 10 प्रतिशत या उससे कम तक ह्रासित कर दी गई है, तो उस आस्ति की बाबत और अवक्षयण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) अवक्षयण की बकाया, विहित अवधि की शेष अवधि पर समीकृत संदायों द्वारा बट्टे खाते डाली जा सकेगी ।

2. अवक्षयण के सिद्धान्तों के लागू होने की अवधि :—ये सि न्त अप्रैल, 1979 के पहले दिन से आरम्भ होने वाले और मार्च, 1980 के 31 वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के अवक्षयण के प्रभारण को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, "विहित अवधि" से, इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में, ऐसी आस्ति के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि, जो प्रत्येक दशा में, उस लेखा वर्ष के ठीक अगले लेखा वर्ष से आरम्भ होगी, जिसमें कारबार में उपयोग के लिए विशिष्ट आस्ति उपलब्ध हुई थी, अभिप्रेत है ।

अनुसूची

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
क. पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि	अनंत काल
ख. पट्टे के अधीन धारित भूमि—	
(क) भूमि में विनिधान के लिए	पट्टे की अवधि, या पट्टे के समनुदेशन पर शेष अनवसित अवधि ।
(ख) स्थल की सफाई करने की लागत के लिए	स्थल की सफाई करने की तारीख को पट्टे की शेष अनवसित अवधि।
ग. नई क्रय की गई आस्तियां :—	
(क) जनन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी, जिसके अंतर्गत संयंत्र आधार भी हैं:—	
(1) जल विद्युत	पैंतीस
(2) वाष्प विद्युत	पच्चीस
(3) डीजल विद्युत	पन्द्रह
(ख) शीतलन टावर और परिसंचारी जल पद्धति	तीस
(ग) द्रवचालित संकर्म जो जल विद्युत पद्धति का भाग है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—	
(1) बांध, अधिप्लव मार्ग, वाधिकाएं और नहरें, प्रबलित कंक्रीट अवनालिकाएं और दाबलधिकाएं	एक सौ
(2) प्रबलित कंक्रीट पाइप लाइनें और महोर्मि टैंक, इस्पात पाइप लाइनें, स्लूइस द्वारा, इस्पात महोर्मि टैंक द्रव चालित नियंत्रण वाल्व और अन्य चालित संकर्म	चालीस

1	2
(घ) स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरी संकर्म, जो ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए हैं :—	
(1) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष .	पचास
(2) जिसमें ताप विद्युत जनन संयंत्र है।	तीस
(3) जिसमें जल विद्युत जनन संयंत्र है।	पैंतीस
(4) अस्थाई निर्माण, जैसे काष्ठ संरचनाएं	पांच
(4क) कच्चे मार्गों से भिन्न मार्ग .	एक सौ
(5) अन्य	पचास
(ङ) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कियोस्क, उप-स्टेशन उपस्कर और अन्य नियत साधित्र (जिसके अंतर्गत संयंत्र आधार भी हैं) :—	
(1) 100 किलोवाट एम्पियर और उससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर (जिसके अंतर्गत आधार भी हैं)।	पैंतीस
(2) अन्य	पच्चीस
(च) स्विचगियर, जिसके अंतर्गत केबल कनेक्शन भी है	बीस
(चक) तड़ित प्रग्राही—	
(1) स्टेशन टाइप . .	बीस
(2) पोल टाइप . .	पन्द्रह
(3) तुल्यकारी संधारित्र .	पैंतीस
(छ) बैट्रियां . . .	दस
(ज) (1) भूमिगत केबलें जिनके अंतर्गत संधि बाक्स और वियोजन बाक्स भी हैं।	चालीस
(2) केबल डक्ट प्रणाली .	साठ
(झ) ऊपरी लाइनें, जिनके अन्तर्गत टेक भी है—	
(1) 66 किलोवाट से उच्चतर नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली संविरचित इस्पात टेकों पर लाइनें।	पैंतीस
(2) 13.2 किलोवाट से उच्चतर किन्तु 66 किलोवाट से अनधिक नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली इस्पात टेकों पर लाइनें।	बीस
(3) इस्पात या प्रबलित कंक्रीट टेकों पर लाइनें।	पच्चीस
(4) अभिक्रियित काष्ठ टेकों पर लाइनें।	बीस
(ञ) मीटर	पन्द्रह
(ट) स्वनोदित यान . .	सात
(ठ) स्थैतिक मशीन औजार . .	बीस
(ड) वातानुकूलन संयंत्र—	
(1) स्थैतिक . .	पन्द्रह
(2) सुवाह्य . .	सात
(ढ) (1) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग	बीस
(2) कार्यालय उपस्कर .	दस
(3) आन्तरिक तार लगाना, जिसके अन्तर्गत फिटिंग और साधित्र भी हैं।	पन्द्रह
(4) सड़क प्रकाशन फिटिंग .	पन्द्रह
(ण) भाड़े पर दिए गए साधित्र—	
(1) मोटरों से भिन्न . .	सात
(2) मोटरें . .	बीस
(त) संचार उपस्कर—	
(1) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति वाहक पद्धति।	पन्द्रह
(2) टेलिफोन लाइनें और टेलिफोन।	बीस
ख. पूर्व-प्रयुक्त क्रय की गई आस्तियां और ऐसी आस्तियां, जिनके लिए इस अनुसूची में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।	ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो राज्य सरकार, स्वामी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनके स्वरूप, काल समय और दशा को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में अवधारित करें।

[सं० 9/21/79-डस्क I खण्ड I]

अनिमा बोदिया, संयुक्त सचिव।

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (a) of paragraph VI of the Sixth Schedule to the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the licensee shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely:—

1. Providing of depreciation by licensees, —(a) The licensee shall provide for depreciation—

(i) such an amount as would, if set aside annually throughout the prescribed period and accumulated at compound interest at 4 per centum per annum, produce by the end of the prescribed period an amount equal to ninety per cent of the original cost of the asset after taking into account the sums already written off or set aside in the books of the undertaking. Annual interest on the accumulated balance will be allowed as an expense from revenue as well as the annual incremental deposit, or

(ii) such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the asset by the prescribed period.

Provided, however, that if a licensee has already opted for a particular method before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1978 (23 of 1978), he shall continue to follow the same method.

(b) Where any fixed asset ceases to be available for use through obsolescence, inadequqacy, superfluity or for any other reason, it shall be described in the books of the licensee as no longer in use and no further depreciation in respect there shall be allowed as a charge against revenue.

(c) When any asset has been written down in the books of the undertaking to 10 per cent or less of its original cost, no further depreciation shall be allowed in respect of that asset.

(d) Arrears of depreciation may be written off by equated payments over the remainder of the prescribed period.

2. Period of application of the principles of depreciation.—These principles—shall apply to the charging of depreciation for the year commencing on the 1st day of April, 1979 and ending on the 31st day of March, 1980.

Explanation:— In this notification "prescribed period" means—in respect of assets specified in the Schedule to this notification, the number of years or period specified therein, in relation to such asset running in each case from the beginning of the year of account next following that in which the partiular asset became available for use in the business.

SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
A. Land owned under full title	Infinity.
B. Land held under lease—	
(a) for investment in the land	The period of the lease, or the period remaining unexpired on the assignment of the lease.
(b) for cost of clearing site	The period of the lease remaining unexpired at the date of clearing the site.
C. Assets purchased new—	
(a) Plant and machinery in generating stations, including plant foundations—	
(i) hydro-electric	Thirty-five
(ii) steam-Electric	Twenty-five
(iii) diesel-electric	Fifteen
(b) Cooling towers and circulating water systems	Thirty
(c) Hydraulic works forming part of a hydro electric system, including—	
(i) dams, spilways, weirs, canals, reinforced concrete flumes and syphons	One hundred
(ii) reinforced concrete pipe-lines and surget anks, steel pipe-lines, sluice gates, steel surge tanks, hydraulic control valves and other hydraulic works.	Forty
(d) Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above—	
(i) offices and show rooms	Fifty
(ii) containing thermo-electric generating plant	Thirty
(iii) containing hydro-electric generating plant	Thirty-five
(iv) temporary erection such as wooden structures	Five
(iva) roads other than kutcha roads	One hundred
(v) others	Fifty
(e) Transformers, transformer kiosks, substation equipment and other fixed apparatus (including plant foundations)—	
(i) transformers (including foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over	Thirty-five
(ii) Others	Twenty-five
(f) Switchgear, including cable connections	Twenty
(ff) Lightning arrestors—	
(i) station type	Twenty
(ii) Pole type	Fifteen
(iii) synchronous condensers	Thirty-five
(g) Batteries	Ten
(h) (1) Underground cables including joint boxes and dis-connecting boxes	Forty
(2) Cable duct system	Sixty
(i) Overhead lines, including supports—	
(i) lines on fabricated steel supports operating at nominal voltages higher than 66 kilovolts	Thirty-five
(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts.	Thirty
(iii) lines on steel or reinforced concrete supports	Twenty-five
(iv) lines on treated wood supports	Twenty
(j) Meters	Fifteen
(k) Self-propelled vehicles	Seven
(l) Static machine tools	Twenty
(m) Air-conditioning plant—	
(i) Static	Fifteen
(ii) Portable	Seven
(n) (i) Office furniture and fittings.	Twenty
(ii) Offic equipment	Ten
(iii) internal wiring, including fittings and apparatus	Fifteen
(iv) street-light fittings	Fifteen
(o) Apparatus let on hire—	
(i) other than motors	Seven
(ii) motors	Twenty
(p) Communication equipment—	
(i) Radio and high frequency carrier system	Fifteen

Description of asset	Number of years or period
(ii) Telephone lines and telephones	Twenty
D. Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this Schedule.	Such reasonble period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by the owner.

[No. 9/21/79-Desk I-Vol. I]
OTIMA BORDIA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1980